रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 21, 2014/फाल्गुन 30, 1935
No. 149] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 2014/PHALGUNA 30, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2014

सा. का. नि. 206(अ).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 365(अ), दिनांक 10 जून, 2013 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(i) माननीय न्यायमूर्ति श्री सिद्धार्थ मृदुल- अध्यक्ष

(ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील गौड़- सदस्य

(iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री जी. पी. मित्तल- सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2014 से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. यू. 11016/01/2011-पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनन्दा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—यह अधिसूचना सा.का.नि. 365(अ), दिनांक 10 जून, 2013 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में दिनांक 10 जून, 2013 को प्रकाशित हुई थी ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2014

G.S.R. 206(E).–In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 365(E), dated 10th June, 2013 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year consisting of :—

(i) Hon'ble Mr. Justice Siddharth Mridul, Chairperson

(ii) Hon'ble Mr. Justice Sunil Gaur, Member

(iii) Hon'ble Mr. Justice G. P. Mittal, Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2014.

[F. No. U-11016/01/2011-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.

Foot Note: —The Notification G.S.R. 365(E), dated 10th June, 2013 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) on 10th June, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.